मराठी को लघु भाषिक अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग पर तीन माह में निर्णय ले सरकार : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: हाई कोर्ट ने मराठी भाषा को राज्य में भाषिक अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग पर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता डा. सचिन आशोक काले द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2024 पर यथाशीघ्र अधिकतम तीन माह में निर्णय लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। बिलासपुर निवासी डा. सचिन काले ने याचिका में मांग की थी कि मराठी भाषा को छग में भाषिक अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। जैसे कर्नाटक, एमपी व तमिलनाडु जैसे राज्यों ने मराठी, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़ आदि भाषाओं को भाषिक अल्पसंख्यक घोषित किया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी मराठी को यह दर्जा मिलना चाहिए।

03 माह में राज्य सरकार को निर्णय लेने कोर्ट ने दिया आदेश

हाई कोर्ट ने यह दिया आदेश

कोर्ट ने याचिका पर अंतिम निर्णय देते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता ने पूर्व में 22 अप्रैल 2023 तथा ताज़ा 27 नवम्बर 2024 को राज्य के संबंधित विभागों को आवेदन दिया है। अब राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आवेदन पर तीन माह के भीतर विचार कर निर्णय ले। याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारी को दो सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता को भी आदेश की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग को देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीतिगत मामलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि कोई नागरिक संवैधानिक अधिकारों की मांग के तहत प्रतिनिधित्व करता है, तो उस पर विचार करना राज्य का दायित्व है।

राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष

सरकारी वकील ने याचिका विरोध करते हुए कहा कि, यह याचिका जनहित में नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया कि वे किस प्रकार जनहित में कार्य कर रहे हैं। मराठी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है और यह देश की एक प्रमुख भाषा है, अत: इसे लघु भाषा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं। मात्र भाषा बोलने वाले समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करना नीतिगत मामला है, जिसे अदालत के माध्यम से निर्देशित नहीं किया जा सकता।